न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री जगदीश आर्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 53/2022 तारीख रजू 23.08.2022

1. गोपाल पुत्र रामसहाय पूर्विया निवासी मलारना चौड जिला सवाई माधोपुर
2. शम्भूदयाल पुत्र अम्बालाल पूर्विया निवासी मलारना चौड जिला सवाई माधोपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पूत्र मूल्या पूर्विया निवासी मलारना चौड जिला सवाई माधोपुर
2. आवंटन अधिकारी उपजिलाधीश सवाई माधोपुर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित
(1) श्री संदीप शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण 1 लगायत 2 की ओर से
(2) श्री जगदीश प्रसाद शर्मा विपक्षी 1 की ओर से
(3) पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक **10.07.2024.**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(1) आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 31.05.1973 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश पुत्र मूल्या जाति पूर्विया निवासी ग्राम मलारना चौड को खसरा नम्बर 2447 रकबा डेढ बीघा वाके ग्राम मलारना चोड में दिनांक 31.05.1973 को किया गया आवंटन को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्व, मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि आवंटन अधिकारी ने उक्त आवंटन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच नहीं की है। उक्त आवंटन मिथ्या तथ्यों का अंकन कर मिथ्या व्यपदेशन कर कराया गया है। जोकि धोखाधडी एवं फर्जीवाडा कर आपस में साज–बाज कर

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कराया गया आवंटन होने के कारण लायके खारिज है। यह कि आवंटन अधिकारी ने आवंटन करते समय इस तथ्य का ध्यान नहीं रखा है कि उक्त आवंटन नाबालिग 5 वर्षीय बालक को किया गया आवंटन होने के कारण लायके निरस्त है। वर्तमान समय में अप्रार्थी जगदीश पुत्र मूल्या की उम्र 54 वर्ष है तथा आवंटन दिनांक 31.05.1973 को उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी तथा 5 वर्ष के बालक को किसी भी प्रकार से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। जब आवंटन के समय आवंटी नाबालिग था तो उसको 2 वर्ष में भूमि का कब्जा लेना व उक्त भूमि को जोतना ही संभव नहीं है। यह कि विवादित आवंटन कपट एवं मिथ्या व्यवदेशन कर असल एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाकर झूठें एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर कराया गया है। जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि आवंटन आवेदन पत्र बड़ा व्यस्क व्यक्ति का अंगूठा लगाया गया है। जबकि आवंटी की उम्र मात्र 5 वर्ष थी 5 वर्षीय बालक की अंगूठा निशानी का आकार इतना बडा होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। यह कि आवंटन पत्र का मद संख्या 1 पूर्णतया खाली छोडा गया है जबकि नियमानुसार लागू नहीं होने वाले मदो को काटना आवश्यक है उक्त आवंटन फार्म पूर्णतया खाली फार्म था जिसे साज–बाज कर गलत एवं मिथ्या तरीके से भरकर आवंटन कराया गया है। आवंटी द्वारा भूमि के मद संख्या 2 में स्वयं के नाम कोई भूमि नहीं होना होते हुए स्वयं को भूमिहीन बताया है जबकि दिनांक 31.05.1973 को कराई गई पटवारी रिपोर्ट में स्पष्टरूप से अंकित किया गया है कि आवेदक भूमिहीन नहीं है तथा उसके नीचे के कॉलम में स्पष्ट अंकित है "उक्त पत्रावली मुकाम मलारना चौड मजमा आम में कमेटी के समक्ष पेश हुई रिपोर्ट पटवारी द्वारा देखी गई तथा हाजरीन को सुनाया गया तो प्रकट हुआ कि प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार नहीं है अतः हस्ब सबमेटा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर दाखिल दफ्तर हो लेकिन आगे के कॉलम में लिखा है कि जाहिर किया प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है अतः हस्ब राय कमेटी प्रार्थी को ख0नं0 2447 में डेढ बीघा रकबा गैर खातेदारी हक पर अलोट की जाती है। जब हल्का पटवारी द्वारा आवंटी को भूमिहीन नहीं माना गया तो आवंटी भूमि आवंटन का हकदार नहीं रहा है आवंटन पर उक्त प्रकार की रिपोर्ट होने के बावजूद गलत प्रकार से आपस में साज–बाज कर कराया गया आवंटन लायके खारिज है। यह कि उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र में अंतिम मद में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि नजराना 150/–रू0 प्रति बीघा की दर से 225/–रू0 10 किश्तों में दिया जायेगा लेकिन आवंटी द्वारा आज दिन तक कोई नजराना जमा नहीं कराया गया है। नजराना जमा नहीं कराने के कारण आवंटी के हक में किया गया उक्त आवंटन स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आवंटन पत्र के मद संख्या 5 में पूर्व में अंकित किया गया ख0नं0 1404 को काटकर उक्त के स्थान पर आपस में साज–बाज कर ख0नं0 2447/1/2 अंकित किया गया है। उक्त समस्त कांटाफासी पर आवंटी अथवा पटवारी हल्का अथवा आवंटन कमेटी के सदस्यों के लघु हस्ताक्षर नहीं है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि उक्त सम्पूर्ण आवंटन कार्यवाही छल एवं कपटपूर्ण बेईमानी पूर्व तरीके से आपस में साज–बाज कर की गई है। जो कि लायके निरस्त है। यह कि आवंटी का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा ना ही

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आज कब्जा है पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से साज–बाज कर गलत एवं मिथ्या तरीके से प्रार्थी के कब्जे की भूमि को हडपने व नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से उक्त समस्त झूठी एवं मिथ्या कार्यवाही की गई है जोकि लायके निरस्त है। यह कि पुराना ख0नं0 2447 के नये ख0नं0 3547, 3548, 3546, 3551 है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा उनके पूर्वजो के समय से चला आ रहा है अप्रार्थी संख्या द्वारा ना तो उक्त भूमि का नजराना जमा कराया गया ना ही कभी उसका कब्जा रहा समस्त कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों से साज–बाज कर की गई है। यह कि सम्पूर्ण आवंटन प्रार्थना पत्र पर कभी भी प्रार्थना पत्र पेश होने की तथा आवंटन होने की दिनांक तक अंकित नहीं है मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक अंकित है इससे मालूम चलता है कि उक्त आवंटन जल्दबाजी में बिना रिकार्ड व मौका देख किया गया है। यह कि उक्त आवंटन करने से पूर्व ना तो किसी प्रकार की उद्घोषणा की गई ना ही उक्त आवंटन मजमे आम में की गई समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से गुपचुप तरीके से किया गया है। यह कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साज–बाजकर गलत एवं मिथ्या तरीके से झूठ कपट एवं मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर कराये गये आवंटन की जानकारी नहीं थी यदपि गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर कपटपूर्वक कराये गये आवंटन को कभी भी चुनौती देकर खारिज कराया जा सकता है तथापित दिनांक 28.06.2022 को पटवारी हल्का से उक्त तथ्य की जानकारी होने पर रिकार्ड रूम से दिनांक 21.07.2022 को नकल प्राप्त करने पर अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा साईटेशन RRT 2006 (2) पेज नं. 1123, DNJ (Raj.) 2013 (3) पेज नं. 1367 प्रस्तुत की गई । अन्त में वकील प्रार्थीगण ने आलोच्य आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों पर निगरानी पेश की गई है। निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 17(1) अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है उसमें आदेश दिनांक 31.05.73 को चुनौती दी गई है जबकि विपक्षी को आवंटन दिनांक 01.06.73 को हस्ब आवंटन सलाहकार समिति की राय से, विपक्षी जन्म से ही विकलांग होने के कारण विपक्षी के माता–पिता द्वारा परित्याग करने के कारण मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा ही विपक्षी की परवरिश की गई थी, इसलिये विकलांगता की स्थिति को देखते हुए आवंटन किया गया था। प्रार्थीगण एवं विपक्षी आपस में रिश्तेदार है एवं हमेशा से खेतों के पडौसी होते हुए भी प्रार्थीगण ख0नं0 3548 रकबा 0.06 है0 पर अतिक्रमण करने की धमकी देने पर विपक्षी द्वारा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.05.22 को सीमाज्ञान के समय विवाद करने के कारण म्याद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि आवंटित भूमि पर विपक्षी का भौतिक कब्जा होने के कारण दिनांक 12.06.89 को गैर खातेदारी से खातेदारी का इन्द्राज स्वीकार हुआ था। नामान्तकरण संख्या 2182 की प्रमाणित प्रति पेश की है। यह कि प्रार्थीगण ने तहसीलदार मलारना डूंगर को पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिये खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार 35 वर्ष

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पूर्व प्राप्त हो जाने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायहित में खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा साईटेशन RRT 2023 पार्ट (2) पेज नं. 1212, RRT 2006 पार्ट (2) पेज नं. 1171, RRT 2009 पार्ट (1) पेज नं. 453, B.R.R. पेज नं. 921, एवं DB Civil Writ Pet. No. 948 पेज नं. 780 प्रस्तुत की गई ।

प्रकरण में प्रार्थीगण व विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलील व बहस को ध्यान पूर्वक सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में बहस के मुख्य बिन्दु विपक्षी के नाबालिग होते हुए विवादित भूमि का आवंटन किया जाना, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होना एवं विपक्षी को विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार 35 वर्ष से अधिक समय पूर्व मिलने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन रूल्स 17(1) पोषनीय नहीं होना है। प्रकरण में प्रार्थी का कथन कि विपक्षी को विवादित भूमि के आवंटन के समय विपक्षी नाबालिग था विपक्षी के जन्म प्रमाण साक्ष्य से स्पष्ट होता है किन्तु यहां यह समझना जरूरी है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी के नाबालिग होते हुए भी उसे विवादित भूमि का आवंटन क्यों किया गया इसमें विपक्षी के जन्म से विकलांग होने, उसके माता–पिता द्वारा उसका त्याग करने पर पडौसियों द्वारा उसका लालन–पालन करने तथा भविष्य में विपक्षी अपने पैरो पर खडा रह सके यह सोच कर शायद आवंटन किया गया हो, कुछ भी मुददे हो सकते है किन्तु सर्वप्रथम यह गौर करने योग्य है कि आवंटन खारिज किया जा सकता है अथवा नहीं। विपक्षी का कथन कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है, पर गौर फरमाने पर यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा विवादित भूमि का सीमाज्ञान की प्रार्थना पत्र पेश करने पर पटवारी हल्का मलारना चौड द्वारा दिनांक 26.05.2022 को फर्द मौका पर्चा बनाकर उक्त विवादित भूमि पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान नहीं करना अंकित किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का कथन कि उन्हें विवादित भूमि के आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.06.2022 को हुई हो, सही प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होना प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी को विवादित भूमि के गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार वर्ष 1989 अर्थात् लगभग 35 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो चुके है। अतः उक्त भूमि खातेदारी की होने के कारण खातेदारी निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(1) चलने योग्य नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 17(1) के तहत चलने योग्य नहीं होने तथा सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर